**न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली**
**पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.**

**पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या : 78/2018**
**जीसीएमएस नम्बर : 2018/00412**

**प्रार्थीः–**
वेनाराम पुत्र गोमाराम जाति नायक (भील) निवासी रूंगडी ग्राम पंचायत सांवलता, तहसील रानी जिला पाली

**बनाम**

**अप्रार्थीगणः–**
1. सरपंच ग्राम पंचायत सावंलता, पंचायत समिति रानी, तहसील रानी
2. उपनिदेशक,, महिला व बाल विकास विभाग, मुख्यालय पाली कलक्टर परिसर के उपर, पाली
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति रानी, तहसील रानी, जिला पाली

**पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994**

**उपस्थित –**

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मोतीसिंह पुरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश कुमार प्रजापत।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

**–: निर्णय :–**

दिनांकः– 29.5.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत सावंलता द्वारा अप्रार्थी महिला एवं बाल विकास विभाग के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1676 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को बावजूद नोटिस तामीली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने दिनांक 03.01.2013 को पुश्तैनी मकान के रेग्यूलाईजेशन के आधार पर एक आवेदन अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसकी ग्राम पंचायत द्वारा रसीद दी गयी। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत को पट्टा जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के मकान पर महिला एवं बाल विकास विभाग के नाम पट्टा जारी होना बताया। उक्त पट्टा बिना प्रक्रिया अपनाये हुए फर्जी तरीके से अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी कर दिया गया। जैर निगरानी पट्टा संख्या 1676 के सम्बन्ध में न तो अप्रार्थी संख्या 2 ने कोई आवेदन प्रस्तुत किया और न ही महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उक्त पट्टे की मांग की गई। मात्र प्रार्थी को परेशान करने के लिए बिना पत्रावली संधारण के बिना कोरम के, बिना नक्शा बनाये, बिना अस्थाई प्रस्ताव लिये, बिना नियम 48 का नोटिस चस्पा किये सम्पूर्ण राजस्थान पंचायती एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों को ताक पर रखकर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में बोगस पट्टा जारी कर दिया, जिसकी कोई वैधानिकता कानूनन नहीं है। प्रार्थी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है तथा वह पीढ़ियों से उक्त पुराने मकान में निवासरत है। प्रार्थी के पास इसके अलावा रहवास

अति. जिला कलक्टर, पाली

हेतु वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है इस कारण प्रार्थीया का उक्त मकान व भूखण्ड पर Plausible Claim है। प्रार्थी का मकान 40–50 वर्षों से पुराना पुश्तैनी भूखण्ड पर बना हुआ है जो नियम 157 के तहत पुराने गृह के नियमितिकरण में आता है। उक्त भूमि आबादी भूमि है। प्रार्थी के Plausible Claim के समर्थन में ग्राम पंचायत ने भी प्रमाण पत्र जारी किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एआईआर 2011 वोल्यूम 4,एस.सी. पेज नं. 1123 में न्यायिक दृष्टान्त में स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और उसका Plausible Claim है तो वहा पर नम्रता व उदारता का रूख अपनाया जाना चाहिये। यदि उसका अनऑथराईज्ड कन्स्ट्रक्शन है तो भी उसे नियमिति करना चाहिये। यदि बोगस पट्टे की ओट में प्रार्थी को पट्टा जारी नहीं किया जाता है तथा मौके से उसे बेदखल कर दिया जाता है तो वह विपरीत रूप से प्रभावित होगा। राजस्थान पंचायती राज नियम 157(2) के तहत विधिवत शुल्क अदा कर प्रार्थी उक्त पुराने मकान का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 से हासिल करने के लिए Justified है इसलिये जैर निगरानी पट्टा निरस्त योग्य है। अधिवक्ता प्रार्थी ने इसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त AIR 2011 SC 1123, 2007(4) SCC 221, 2015(2) DNJ (RAJ) 595 पेश कर जैर निगरानी को स्वीकार करने निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी 1 ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी को ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही जैर निगरानी पट्टे की पूर्ण जानकारी थी। प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी भूखण्ड पर अतिक्रमण का प्रयास करने पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 02.08.2001 को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया तब प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण हटा दिया गया था। जिसके पश्चात प्रार्थी द्वारा पुनः अतिक्रमण किये जाने से ग्राम पंचायत के कोरम द्वारा मौका रिपार्ट बनाते हुये दिनांक 04.02.2006 को पुनः अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया तथा प्रार्थी के खिलाफ पुलिस थाना खिवाडा में दिनांक 02.04.2006 को शिकायत पेश की गयी। ग्राम पंचायत ने राज. पंचायती राज 1994 के नियम 145 से 157 तक की पालना करते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। साथ ही प्रार्थी ने वर्ष 2001 से पूर्व का ऐसा कोई प्रार्थी का कब्जा होने बाबत् रिकार्ड अथवा दस्तोवज पेश नहीं किये जिससे यह साबित हो सके की उक्त आबादी भूमि पर प्रार्थी का कभी कोई कब्जा रहा हो। अतः जैर निगरानी पट्टा नियमानुसार होने से उक्त निगरानी को खारिज करना फरमावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 की बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत सांवलता द्वारा अप्रार्थी महिला एवं बाल विकास विभाग के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1676 के विरूद्ध पेश की है। जैर निगरानी पट्टा संख्या 1676 आंगनवाडी केन्द्र के पट्टे पर प्रार्थी वेनाराम द्वारा अतिक्रमण किये जाने से ग्राम पंचायत ने दिनांक 02.08.2001 को प्रार्थी के नाम नोटिस जारी कर 15 दिवस में अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देशित किया। उक्त नोटिस पर अंकित रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा लेने से मना किया गया। जिससे यह ज्ञात होता है कि प्रार्थी को जैर निगरानी पट्टे की जानकारी उक्त नोटिस के साथ ही हो गयी थी जबकि अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी को जैर निगरानी पट्टे की जानकारी दिनांक 25.05.2018 को हुयी है। जिससे स्पष्ट है कि अधिवक्ता प्रार्थी अपने उक्त कथन को सिद्ध करने में असफल रहे है।

ग्राम पंचायत ने पत्र कमांक/10 दिनांक 04.02.2006 के द्वारा प्रार्थी को आंगनवाडी केन्द्र की भूमि पर किये हुये नियम विरूद्ध कब्जे के सम्बन्ध में पंचायत हाजा में उपस्थित होकर अपना पट्टा व अन्य सबूत जो भी हो पेश करे अन्यथा आपके विरूद्ध

अति. जिला कलक्टर, पाली

नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी के सम्बन्ध में निर्देशित किया था। उसके उपरान्त भी प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त आबादी भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा रहा हो अथवा प्रार्थी का पुश्तैनी भूखण्ड हो।

मौका फर्द दिनांक 01.02.2006 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा जैर आराजी पर 40 बाई 60 फुट के क्षेत्रफल में अतिक्रमण किया हुआ है। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत ने दिनांक 17.02.2012 को प्रार्थी को पुनः नोटिस प्रेषित कर जैर आराजी से अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देशित किया तथा उक्त नोटिस को गवाहों के सामने चस्पा किया गया। जिस पर प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नही किये जाने से ग्राम पंचायत ने दिनांक 18.04.2012 को प्रार्थी को पुनः नोटिस प्रेषित किया, उक्त नोटिस को प्रार्थी द्वारा लेने से मना कर दिया गया जिसे गवाहो के सामने उप स्वास्थ्य केन्द्र की दिवार पर चस्पा किया गया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा जैर आराजी भूखण्ड पर किये गये अतिक्रमण को हटाने बाबत् अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को बार–बार सूचित किया गया था अर्थात् अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी जैर निगरानी पट्टे पर प्रार्थी द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया था जिसकी आड में जैर निगरानी पट्टे को खारिज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2012 0 Supreme (Raj) 554, 2012 2 RLW (RJ) 742 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996, नियम 162 – गांव में उप स्वास्थ्य केन्द्र के प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन – अभिनिर्धारित – भूमि निशुल्क आंवटित की जा सकती है – यदि कुछ अधिक जमीन आंवटित की गई हो तो इसे प्रश्नगत करने की प्रार्थी की कोई स्वीकृति स्थिति नहीं क्योंकि इसका प्रयोजन सार्वजनिक हित है। साथ ही राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 162(1) के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि पंचायत आबादी क्षेत्र के भीतर 500 वर्गगज तक की भूमियां विद्यालय, औषधालय, आंगनबाडी को निःशुल्क आवंटित कर सकेगी। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की पालना करते हुये अप्रार्थी संख्या 2 को जैर निगरानी पट्टा जारी किया है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर प्रार्थी द्वारा किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमी को नोटिस प्रेषित कर अतिक्रमण हटाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने ऐसे कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि जैर आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी अथवा कब्जा सुदा भूमि थी। केवल मात्र अतिक्रमण की आड में जैर निगरानी पट्टे को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी भी जैर निगरानी पट्टे की जानाकरी के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को सिद्ध करने में असफल रहे। साथ ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह जाहिर होता हो कि प्रार्थी का अतिक्रमण पट्टा जारी करने से पूर्व का हो।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती हैं तथा ग्राम पंचायत सांवलता द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 महिला एवं बाल विकास विभाग के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1676 को यथावत रखा जाता है। अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा वह कमजोर वर्ग एवं भूमिहीन व्यक्ति है। यदि प्रार्थी कमजोर वर्ग का व्यक्ति है तथा वह अन्य जगह पर नियमानुसार भूखण्ड प्राप्ति की पात्रता रखता है तो ग्राम पंचायत को निर्देशित

अति. जिला कलक्टर, पाली

किया जाता है कि प्रार्थी की पात्रता के आधार पर नियमानुसार अन्यत्र जगह पर पट्टा दिये जाने की कार्यवाही करे। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29/5/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली